न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्या:- प्रार्थना पत्र संख्या 89 / 2019

निर्णय दिनांक :- 27.1.2020

जितेन्द्रदान चारण पुत्र स्व. छगनदान चारण निवासी ग्राम दस्सूसर तहसील रतनगढ जिला चूरू

... प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ जिला चूरू

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:-

1. श्री परमानन्द भांभु अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकार राज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 राजस्व रेकार्ड में अकिंत नाम का शुद्धीकरण करवाने हेतु दिनांक 23.12.2019 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि ख.नं. 113,121,172,332,57 कुल तादादी 17.6923 हैक्टेयर भूमि रोही ग्राम दस्सूसर तहसील रतनगढ में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम रामदान पुत्र छगनदान अकिंत है। प्रार्थी का 214 / 4197 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी के पिता छगनदान के गुजरने के बाद विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करते समय गांव में बोलचाल की भाषा में पुकारे जाने वाला नाम रामदान सहवन से अकिंत करवा दिया था। प्रार्थी उस समय 2 वर्ष का था। प्रार्थी का नाम रामदान गलत लिखा हुआ है जबकि वास्तव में प्रार्थी का नाम जितेन्द्रदान पुत्र छगनदान है। प्रार्थी के स्कूल रेकार्ड, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड में प्रार्थी का नाम जितेन्द्रदान पुत्र छगनदान अकिंत है। जिसको

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

शुद्ध किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि ख.नं. 113,121,172,332,57 कुल तादादी 17.6923 हैक्टयेर रोही ग्राम दस्सूसर तहसील रतनगढ में रामदान पुत्र छगनदान के स्थान पर सही नाम जितेन्द्रदान पुत्र छगनदान अकिंत किये जाने का आदेश फरमावें।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया तथा तहसीलदार रतनगढ से अभिलेख के सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार, रतनगढ की रिपोर्ट दिनांक 22.1.2020 को न्यायालय में प्राप्त हुई। तहसीलदार, रतनगढ की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रेकार्ड ख.नं. 113,121,172,332,57 कुल तादादी 17.6923 हैक्टयेर रोही ग्राम दस्सूसर तहसील रतनगढ के संयुक्त खातेदारी में प्रार्थी का नाम रामदान पुत्र छगनदान के स्थान पर जितेन्द्रदान पुत्र छगनदान किया जाना उचित बताया है।

3. बहस अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार राज सुनी गई। प्रार्थना पत्र, एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत स्कूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र एवं तहसीलदार रतनगढ की प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 22.1.2020 का भलीभातिं अवलोकन किया गया। प्रार्थी का नाम प्रस्तुत दस्तावेजात में जितेन्द्रदान पुत्र छगनदान अकिंत है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, रतनगढ को आदेश दिया जाता है कि ख.नं. 113,121,172,332,57 कुल तादादी 17.6923 हैक्टयेर रोही ग्राम दस्सूसर तहसील रतनगढ **की संयुक्त खातेदारी के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम जितेन्द्रदान पुत्र छगनदान शुद्ध अकिंत किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार, रतनगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे।**

निर्णय आज दिनांक 27.1.2020 **को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।**

(डॉ. गौरव सैनी)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2020.02.02 16:19:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: